न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/1703/2003

1 मोहनलाल पुत्र उदा जाति जाट
2 नाना पिता उदा जाट निवासीयान जितावास तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

अपीलार्थीगण

बनाम

1 हीरा पिता भूरा जाट निवासी जितावास तहसील रेलमगरा
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेलमगरा

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री सतीश चन्द गोदारा, सदस्य

उपस्थितः श्री मुकेश जैन वकील अपीलार्थीगण
श्री ओ.पी.भटट उप राजकीय अभि0

निर्णय

दिनांकः.18.6.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 175/01 में पारित निर्णय दिनांक 22.1.2003 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी प्रत्यर्थी संख्या 1 हीरालाल ने एक वाद सहायक कलक्टर, राजसमन्द के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 120, 124, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 488 कुल किता 9 रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी संख्या 1,2 वर्तमान अपीलार्थीगण के खातेदारी में अंकित है। किन्तु भू प्रबन्ध से पूर्व उक्त आराजीयात वादी के पिता भूरा व प्रतिवादीगण के पिता उदा के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है। भूरा व उदा सगे भाई थे। वादी व प्रतिवादीगण 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार हैं। राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से परेशानी आती है। अतः उक्त

आराजीयात में वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर विभाजन किया जाकर वाद की मद संख्या 6 अनुसार माफिक कब्जा राजस्व अभिलेख में पृथक पृथक खाते दर्ज कराई जावे। प्रतिवादीगण ने जबाबदावा प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 120 व 124 के अतिरिक्त अन्य विवादित आराजीयात में 1/2, 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण का होना स्वीकार किया गया एवं खसरा नम्बर 120 प्रतिवादीगण के हिस्से में आना तथा खसरा नम्बर 124 पारिवारिक समझौते दिनांक 16.1.88 के अनुसार वादी ने प्रतिवादीगण को राशि प्राप्त कर सौंप दी। अतः खसरा नम्बर 120 व 124 के अलावा अन्य आराजीयात का विभाजन किया जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं होना जाहिर किया। वादी ने जबाब उल जबाब प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावे में उठाए गये एतराज को स्वीकार किया। विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 21.9.2000 से वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर समस्त विवादित आराजीयात में वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का 1/2 हिस्सा घोषित किया। इसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलार्थीगण ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की जो उनके निर्णय दिनांक 22.1.2003 से आंशिक रूप से स्वीकार की गई तथा निर्णय दिनांक 21.9.2000 अपास्त किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादीगण ने वाद के तथ्यों को तथा खसरा नम्बर 120 124 की स्थिति को स्वीकार किया है। जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाता है उन पर स्पष्ट निर्णय पारित करना चाहिये था। खसरा नम्बर 120 बंटवारे में प्रतिवादी अपीलार्थीगण को प्राप्त हुआ है तथा खसरा नम्बर 124 वादी को प्राप्त हुआ था। वादी ने पारिवारिक समझौते के अनुसार राशि प्राप्त कर प्रतिवादी अपीलार्थीगण को दे दिया। इस तथ्य को जबाब उल जबाब प्रस्तुत कर वादी ने स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालयों ने विभाजन का अनुतोष नहीं दिया है जबकि वाद में वादी ने स्पष्ट रूप से विभाजन का अनुतोष दिये जाने की प्रार्थना की है। वादपत्र के अनुसार यदि प्रत्येक पक्ष के खसरा नम्बर नहीं आते हैं, विवाद है तो तनकी बनाकर प्राथमिक डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव मंगाकर निर्णय करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों को देखे बिना ही निर्णय पारित किया है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं। हालांकि वाद में विभाजन का अनुतोष दिये जाने की प्रार्थना की गई है परन्तु वाद

के शीर्षक में विभाजन का अनुतोष दिये जाने का निवेदन नहीं किया गया है। पारिवारिक समझौते में राशि देकर खसरा नम्बर 124 लिया जाना कथन किया है। ऐसे हस्तान्तरण विधि अनुसार नहीं होने से इसके संबंध में अनुतोष नहीं दिया जा सकता। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. विचारण न्यायालय ने विवादित आराजीयात में वादी का आधा हिस्सा एवं प्रतिवादीगण का आधा हिस्सा होना स्वीकार किया है। परन्तु विभाजन हेतु कोई अनुतोष नहीं मांगा जाना अंकित कर विभाजन हेतु कोई अनुतोष नहीं दिया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए यह माना कि खसरा नम्बर 120 व 124 पर प्रतिवादीगण को खातेदारी किसी भी कानून के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती, प्रथम अपील खारिज की है।

7. दावे व जबाबदावे तथा जबाब उल जबाब में पक्षकारों द्वारा स्वीकार किये गये तथ्यों के अनुसार विवादित आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादीगण का आधा आधा हिस्सा रहना कथित किया गया है। खसरा नम्बर 120 124 के अलावा शेष खसरा नम्बरों के संबंध में कोई विवाद ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों ने खसरा नम्बर 120 व 124 में भी वादी का आधा हिस्सा घोषित किया है।

8. वादपत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट हे कि वादीगण ने वाद के पैरा संख्या 11 प्रार्थना में यह (क) में यह स्पष्ट निवेदन किया है कि वादी का आधा हिस्सा घोषित किया जाकर वाद चरण माफिक वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 अपने अपने कब्जेशुदा आराजीयात को कानूनन विभाजित मानी जाकर राजस्व अभिलेख में तदनुसार अलग खातेदारी में अंकित फरमाई जावे। (ख) में यह निवेदन किया कि किसी कानूनी या अन्य अडचन से चरण संख्या 6 के अनुसार विभाजन सम्भव न हो तो टिनेन्सी एकट के कानूनी प्रावधानानुसार विभाजित की जावे। इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वाद में अनुतोष हेतु किये गये निवेदन में स्पष्ट रूप से विभाजन का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह माना जाकर कि विभाजन का अनुतोष नहीं मांगा गया है, निर्णय दिया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता।

9. जहां तक वादपत्र के चरण संख्या 6 में अंकित अनुसार यदि विभाजन नहीं किया जा सकता तो प्रकरण में तनकियात बनाकर दोनों पक्षो से साक्ष्य सबूत लेकर प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगाकर वाद का निस्तारण किया जाना चाहिये। ऐसी स्थिति

में प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही की जाना अपेक्षित होने से हम यह प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं। वादी एवं प्रतिवादी कथन आराजी के आधा आधा रहने का है तथा पश्चात में खसरा नम्बर 120 व 124 की व्यवस्था का विवाद है। ऐसी स्थिति में दोनें का आधा आधा हिस्सा घोषित करने की सीमा तक निर्णय यथावत रखना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पेदन राजस्व अपील प्राधिकारी, उदयपुर का निर्णय दिनांक 22.1.2003 तथा सहायक कलक्टर, राजसमन्द का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.9.2000 आधा आधा हिस्सा घोषित करने की सीमा तक यथावत रख, आंशिक रूप से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ सहायक कलक्टर, राजसमन्द को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उपरोक्तानुसार उभयपक्षो को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रत्यर्थी की तामील कार्यवाही कराई जाकर तनकियात कायम कर साक्ष्य सबूत लेकर वाद में विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी कर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव मंगाकर अन्तिम निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द गोदारा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य